निर्यातकों को 10% आर्थिक सहायता देने की तैयारी शुरू

मंथन

- छह माह के लिए निर्यातकों को राहत देने की है तैयारी
- टैरिफ समाप्त होते ही राहत भी समाप्त कर दी जाएगी

लखनऊ, विशेष संवाददाता। राज्य सरकार प्रदेश के निर्यातकों को ट्रंप टैरिफ से राहत देने के लिए 10 प्रतिशत आर्थिक सहायता देने जा रही है। निर्यातकों को यह सुविधा छह माह के लिए देने की योजना है, लेकिन इस शर्त के साथ इसे दिया जाएगा कि टैरिफ समाप्त होते ही इसे भी समाप्त कर दिया जाएगा। उच्च स्तर पर इसको लेकर सहमति बन गई है और जल्द ही कैबिनेट से प्रस्ताव पास कराने की तैयारी है।

अमेरिका ने भारतीय उत्पादों के आयात पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। इससे निर्यातकों के कारोबार पर असर पड़ा है। लागत के आधार पर उन्हें मूल्य नहीं मिल पा रहा है। हालांकि, केंद्र सरकार ने गुड्स सर्विस (जीएसटी) की दरों में कमी करते हुए देश के कारोबारियों और उद्यमियों को राहत देने की भरपूर कोशिश की है। राज्य सरकार भी उत्तर प्रदेश के निर्यातकों को राहत देने की दिशा में काम कर रही है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कालीन कारोबारियों के कार्यक्रम में निर्यातकों को राहत देने की घोषणा की थी। सूत्रों का कहना है के इसके आधार पर ही एमएसएमई विभाग राहत के लिए पैकेज देने की तैयारी कर रहा है। प्रदेश की एमएसएमई निर्यातक इकाइयों को उनके द्वारा यूएस को किए गए कुल निर्यात मूल्य का 10 प्रतिशत धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में दी जाएगी। यह सहायता राशि फिलहाल छह माह के लिए दी जाएगी, लेकिन यूएस द्वारा भारतीय उत्पादों के आयात पर लागू किए गए 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ को समाप्त किए जाने की तिथि से समाप्त कर दिया जाएगा।